भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2196
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग

†2196. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति की निगरानी करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति या समान तंत्र का उपयोग कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के कार्यनिष्पादन पर नज़र रखती है और यदि हां, तो इसके अखिल भारतीय कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) संबंधी प्रमाणन को सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले पीएचसी की संख्या कितनी है;

(ग) डिजिटल स्वास्थ्य रजिस्ट्रियों और अंतर-संचालनीय इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) कार्यढांचे के साथ पूरी तरह से एकीकृत किए गए पीएचसी की संख्या कितनी है; और

(घ) केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) जैसे केंद्रीय पोर्टलों के माध्यम से गैर-कार्यात्मक या कम कर्मचारियों वाले पीएचसी के संबंध में प्राप्त जन शिकायतों की संख्या कितनी है और प्रकृति क्या है तथा सरकार द्वारा उनका समाधान करने में लिया गया कुल औसत समय कितना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य विषय हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने और बायोमेट्रिक उपस्थिति अथवा समान तंत्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।
तथापि, भारत सरकार ने 20 सितंबर, 2024 को सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में उपस्थिति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, प्रशासनिक भार को कम करने और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए सटीक डेटा प्रदान करने हेतु आईटी-सक्षम उपस्थिति प्रणालियों को लागू करने का निर्देश

दिया गया है, ताकि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निवर्हन प्रभावकारी और निरंतर ढंग से कर रहे हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ संपर्क रहित/चेहरा पहचान प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणालियाँ लागू हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान क्रमशः कुल 1,535 पीएचसी और 1,927 पीएचसी ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) प्रमाणन प्राप्त किया।

27 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार, 15,204 पीएचसी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) -सक्षम एचएमआईएस का उपयोग कर रहे हैं, जो उन्हें एबीडीएम के तहत अंतर-संचालनीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करने, साझा करने और अधिगम करने में सक्षम बनाता है।

मंत्रालय में केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं और जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों से संबंधित जन शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की मामले-दर-मामले आधार पर जांच, मूल्यांकन और निवारण किया जाता है।
